

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

स्मार

पत्र सं०-09/महा0विविध-04-02/2019:-

4357

राँची, दिनांक:- 09/08/19

प्रेषक:-

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, राँची।

विषय:-

राज्य वित्त लेखे अंकेक्षण रिपोर्ट-2018 से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रधान महालेखाकार (ले० प०), झारखंड, राँची का पत्रांक-FINATE-1/F-136(VI)(I)/69 दिनांक-20.05.2019, योजना-सह-वित्त विभाग झारखंड, राँची का पत्रांक-1681/वि० दिनांक-21.06.2019, योजना-सह-वित्त विभाग झारखंड, राँची का पत्रांक-2054/वि० दिनांक-03.07.2019, तथा विभागीय पत्रांक-3831 दिनांक-18.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है योजना-सह-वित्त विभाग झारखंड, राँची ने प्रधान महालेखाकार (ले० प०), झारखंड, राँची के पत्रांक-FINATE-1/F-136(VI)(I)/69 दिनांक-20.05.2019 द्वारा याचित निम्न बिन्दु पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है:-

“ Information in respect of Misappropriation, Losses, Deflation which were reported by the state government, treasuries, offices, departments etc.in pursuance of Rule-31 of Jharkhand financial Rules.”

तत्संबन्धी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-3831 दिनांक-18.07.2019 द्वारा याचित प्रतिवेदन सीधे महालेखाकार कार्यालय को दिनांक-26.07.2019 तक उपलब्ध कराते हुए कृत कार्रवाई से योजना-सह-वित्त विभाग झारखंड, राँची तथा विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त के आलोक में निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है:-

1. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची।
2. कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, राँची।
3. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर।

शेष निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह अत्यन्त खेदजनक है।

कृपया विषयांकित मामले से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से विशेष दूत के माध्यम से दिनांक-18.08.2019 तक महालेखाकार, झारखंड, राँची को प्रेषित करते हुए कृत कार्रवाई से योजना-सह-वित्त विभाग झारखंड, राँची तथा विभाग को अवगत कराया जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजम्

08/08/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)।

(13)

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संचिका संख्या : वित्त 22/ए.जी.-8/2019.....2054/A

सं. 22/ए.जी.-8/2019

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह
सचिव (व्यय)



सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक:- 31/7/19

विषय- राज्य वित्त लेखे अंकेक्षण रिपोर्ट-2018 से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

इ.स.सि. (अ.सि.)

महाशय,

2.8.19

उपर्युक्त विषयक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। प्रधान महालेखाकार (ले.प.) झारखंड, राँची द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-FINAT-I/F-136(VI)(I)/69 दिनांक-24/08/2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

अनुरोध है कि प्रधान महालेखकार (ले. प.), झारखंड, राँची द्वारा याचित प्रतिवेदन शीघ्र प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखंड, राँची को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

428/40440(अ.सि.)
05/8/19

प्रशा. 9
मु. 0 350 (सो.)
05/08/2019

1527(अ.सि.)
05/8/19

अ.सि.
नं. 8-19

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)
संख्या 2324
दिनांक 01.08.19



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
झारखण्ड का कार्यालय, राँची - 834002
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
JHARKHAND, RANCHI - 834002

12

403

No. FINAT-I/F-136(VI(I)/69.

Dated: 24/08/2018

To

Principal Secretary,
Finance Department,
Government of Jharkhand,
Project Building,
Ranchi- 834004.

Sub.: Information regarding State Finance Report 2017-18.

Sir,

Following information are required for the preparation of State Finance Report 2017-18 which may please be provided to this office immediately:

- 1) Copy of documents produced along with the Annual Budget 2016-17 in pursuance of the FRBM Act of the State viz.
 - (i) Fiscal Policy Strategy Statement and Mid Term Fiscal Plan 2017-18;
 - (ii) Disclosure statement regarding significant changes in the accounting standards;
 - (iii) Policies and practices affecting or likely to affect the computation of prescribed fiscal indicators;
 - (iv) Fiscal correction path evolved by the Govt. of Jharkhand, if any, on the recommendation of the Finance Commission.
- 2) Gender Budgeting- Documents regarding Gender Budgeting in Government of Jharkhand.
- 3) Details of Off Budget Borrowing, Guarantees and Sinking fund for amortization of loans for the year 2017-18.
- 4) Details of subsidy given for food, power and irrigation during the year 2017-18.
- 5) Information in respect of Misappropriation, Losses, Defalcation, which were reported by the state government, treasuries, offices, departments etc. in pursuance of Rule-31 of Jharkhand Financial Rules.
- 6) Budget 2017-18 (Original as well as Supplementary, Plan and Non-Plan)
- 7) Budget speech for the year 2017-18
- 8) Original Act for the year 2017-18
- 9) Estimate Committee Report (Recommendation)
- 10) Annual Plan Proposed in the Five Year Plan Document
- 11) State Economic Survey Report 2017-18
- 12) Statistical Hand Book (if any)
- 13) Annual Financial Statement 2017-18

This may be treated as urgent.

Yours faithfully,

sd/-

Sr. Deputy Accountant General (Admn)